BIADA **प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.18 को आयोजित परियोजना समासोधन समिति (पी.सी.सी.) की बैठक की कार्यवाही**

उपस्थिति:-

1. श्री आर.एस. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री बिशेषवर प्रसाद, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि।
3. श्री मृत्युंजय प्रसाद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग के प्रतिनिधि।
4. श्री एस.पी. राय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
5. श्री जी.पी. सिंह, बिहार इण्ड. एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।
6. श्री सुभाष पटवारी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना के प्रतिनिधि।
7. श्री मणिकान्त, उपाध्यक्ष, सी0 आई0 आई0, पटना।
8. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
9. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा एवं भागलपुर।

कार्यवाही

1. दिनांक 01 से 30 अप्रैल, 2018 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय पटना के लिए 07, दरभंगा के लिए 02, मुजफ्फरपुर के लिए 03 एवं भागलपुर के लिए 01 अर्थात् कुल 13 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुए। समिति द्वारा Investment Labour Ratio में अंक प्रदान करने की पद्धति को निम्नांकित प्रकार से निर्धारित किया गया:-

क्रम	श्रेणी	प्रति व्यक्ति निवेश रू0 1.5 लाख से कम होने पर	प्रति व्यक्ति निवेश रू0 1.5 लाख से अधिक होने पर
1	सूक्ष्म श्रेणी	(R/1.5) X 30	(1.5/R) X 30
2	लघु श्रेणी	(R/2.5) X 30	(2.5/R) X 30
3	मध्यम श्रेणी	(R/5) X 30	(5/R) X 30
4	वृहत श्रेणी	(R/10) X 30	(10/R) X 30
			R= Investment Labor Ratio

2. समिति द्वारा आवेदनों के जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि कई परियोजना प्रतिवेदन में ऐसे आँकड़े दिए गए हैं, जो संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसे परियोजना प्रतिवेदन बनाने वाले कंसल्टेंट को प्रथम बार में चेतावनी निर्गत करने

का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत भी यदि पुनरावृति करें तो, उन्हें काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया गया।

3. प्रत्येक पी.सी.सी. बैठक में पूर्व आवंटित इकाईयों की आवंटन के छह माह पश्चात् प्रगति प्रतिवेदन रखने का निदेश दिया गया। तदोपरांत समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई, जो इस प्रकार है:-

4. **<u>सर्वश्री सांई इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, बिहारशरीफ</u>**:- इनके द्वारा Sattu & Besan की परियोजना के स्थापना हेतु प्लॉट संख्या NP-4, रकवा-1350 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 87 अंक प्राप्त हुए हैं।

   <u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक प्रांगण, बिहारशरीफ में प्लॉट संख्या NP-4 रकवा-1350 वर्गफीट भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गई।

5. **<u>सर्वश्री फ्रूट एण्ड पिकल्स इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा</u>**:- इनके द्वारा Fruits & Pickles Industries के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B-8 (P) रकवा-3500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 54 अंक प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

   <u>निर्णय:-</u> अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. **<u>सर्वश्री शिवम एग्रो राईस मिल प्रा0 लि0, विकास केन्द्र, गिद्धा</u>**:- इनके द्वारा Boiling Rice Mill के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या MUP-IV (P) III रकवा-1700 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए हैं।

   <u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत पाया गया कि इकाई के बगल में अतिरिक्त 1700 वर्गफीट रिक्त है एवं इकाई को उसकी आवश्यकता है। अतएव, विकास केन्द्र, गिद्धा में प्लॉट संख्या MUP-IV (P) III रकवा-1700 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गई।

7. **<u>सर्वश्री स्काई लार्क हेचरी, विकास केन्द्र, मरंगा (पूर्णियां)</u>**:- इनके द्वारा Poultry Chicks के इकाई की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या 4 (P) Part-I रकवा-21355 वर्गफीट

भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। इकाई की परियोजना औद्योगिक निवेश नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. **सर्वश्री गुप्ता इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा Water Tank के उद्योग स्थापना हेतु हेतु भूखण्ड संख्या NS-11 रकवा-5740 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। इनके परियोजना प्रतिवेदन में कुल 284 रोजगार सृजन का उल्लेख किया गया है, जो कि 5740 वर्गफीट भूमि के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ हीं निदेश दिया गया कि इनके परियोजना प्रतिवेदन बनाने वाले कंसल्टेंट को चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय।

9. **सर्वश्री गुप्ता इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:-** इनके द्वारा Water Tank के उद्योग स्थापना हेतु हेतु भूखण्ड संख्या NS-11 रकवा-5740 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। इनके परियोजना प्रतिवेदन में 284 रोजगार श्रृजन का उल्लेख किया गया है, जो कि 5740 वर्गफीट भूमि के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ हीं निदेश दिया गया कि इनके परियोजना प्रतिवेदन बनाने वाले कंसल्टेंट को चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय।

10. **सर्वश्री बालाजी पी0भी0सी0 मोल्डिंग, औद्योगिक क्षेत्र फतुहा:-** इनके द्वारा All types of PVC Water Tank के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या F-18 (Phase-I) रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 69 अंक प्राप्त हुए।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा में प्लॉट संख्या F-18 (Phase-I) रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गई।

11. **सर्वश्री रिचा फर्मास्युटिकल्स, विकास केन्द्र, गिद्धा:-** इनके द्वारा Surgical Gloves (Different Size and Design) के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या MUP-IV (P) II

रकवा-4000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 67 अंक प्राप्त हुए है।

निर्णयः- समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत विकास केन्द्र, गिद्धा में प्लॉट संख्या MUP-IV (P) II रकवा-4000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गई।

12. **सर्वश्री एस0 एन0 ग्रुप एण्ड कम्पनीज, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा**:- इनके द्वारा PVC Conduits & Electrical Fittings के उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या C-10 रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें कुल 65 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में भूखण्ड संख्या C-10 रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

13. **सर्वश्री श्रीदुर्गा पॉलीमर्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा**:- इनके द्वारा LDPE/HDPE and other Agricultural Pipes के उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या B-11 रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 59 अंक प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

14. **सर्वश्री माँ दुर्गा राईस मिल, औद्योगिक क्षेत्र, समस्तीपुर**:- इनके द्वारा Rice Mill की परियोजना स्थापित करने हेतु भूखण्ड संख्या 16P, 17P, 18, 19, 20 & 21 रकवा-21000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 53 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

15. **सर्वश्री विजय एण्ड ब्रदर्स, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर**:- इनके द्वारा House Hold Goods Like Moulded Plastic Furniture, Bucket, Containers, Spoon, Mug, Comb, Tea Filter Etc के उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या B-3 रकवा-21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 61 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में भूखण्ड संख्या B-3 रकवा-21780 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

16. **सर्वश्री शमा फूड्स, औद्योगिक क्षेत्र, समस्तीपुरः-** इनके द्वारा Cattle Feed के उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या 16P, 17P, 18, 19, 20 & 21 रकवा-21000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 50 अंक प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

17. **सर्वश्री द बेस्ट टावर्स प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्राः-** सर्वश्री द बेस्ट टावर्स प्रा0 लि0 को हस्तानांतरित भूखंड संख्या-9/2 रकवा 16348 वर्गफीट भूमि को प्रस्तावित इकाई सर्वश्री अमृताश इंटरप्राईजेज के पक्ष भू-हस्तानांतरण किये जाने का आवेदन दिया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडिका 5.2.2 में औद्योगिक क्षेत्र में मात्र मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को हीं भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। भूमि हस्तानांतरण के मामले शेष अवधि के लिए नये इकाई को आवंटन हीं है। अतएव, इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/– उपाध्यक्ष सी.आई.आई., पटना।	ह0/– अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/– अध्यक्ष बिहार इण्ड0 एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/– आ0 वि0 सलाहकार उद्योग विभाग, पटना।	ह0/– अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।

ह0/– कार्यकारी निदेशक बियाडा, दरभंगा/भागलपुर।	ह0/– कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर।	ह0/– उप उद्योग निदेशक– बिहार, पटना।	ह0/– प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 2991/D दिनांक 16/05/18

प्रतिलिपिः – पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/ प्रभारी, प्र0 नि0 कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/18

कार्यकारी निदेशक।

01c